तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/2/24	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 12-7-24 को पेश हो।
12/7/24	पत्रावली पेश। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 76 खसरा संख्या 424, 424/605, 425, 426, 427, 452, 453/552 वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है, कि प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि की पत्थरगढी चाही गई है उस भूमि का राजस्व मानचित्र पेश नहीं किया है जिससे ये स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा विवादित भूमि के समीप स्थित खातेदार जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनते उनको पक्षकार बनाया गया हो। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पास अप्रार्थीगण की कौनसी भूमि है एवं ये भी उल्लेख नही है। कि प्रार्थीगण की कौनसी आराजी में सीमा विवाद है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं करने से पक्षकारों का कुसंयोजन हुआ है। समीप के काश्तकारों को सुने बिना यदि निर्णय पारित किया जाता है तो अनावश्यक वाद बाहुलता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण उपरोक्त तथ्यों से खारिज योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण में पक्षकारों का कुसंयोजन होने व चाहा गया अनुतोष अस्पष्ट होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली